

पटना में दिनांक-12 अप्रैल, 2016 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

जल संसाधन विभाग

1. विश्व बैंक प्रशासित South Asia Water Initiative (SAWI) अनुदान निधि संपोषित जल संसाधन विभाग के बाढ़ मॉडलिंग क्षमता सुदृढीकरण योजना, प्राक्कलित राशि रु० 308.75 लाख (4.75 लाख यू० एस० डॉलर) की परियोजना की स्वीकृति तथा इसके अधीन पी०डब्लू०डी० कोड अथवा बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के इतर विश्व बैंक के गाइडलाईन के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं एवं कार्यों की अधिप्राप्ति की स्वीकृति। 1. स्वीकृत।

विधि विभाग

2. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए उच्च न्यायालय पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति श्री हेमन्त गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में। 2. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

3. षोडश बिहार विधान सभा का द्वितीय-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 182वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। 3. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु शक्तियों का पुननिर्धारण के संबंध में। 4. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5. "बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2016" एवं "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2016" की स्वीकृति। 5. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(उर्दू निदेशालय)

6. बिहार राजभाषा सहायक (उर्दू) संवर्ग नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। 6. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(उर्दू निदेशालय)

7. बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली, 2016 की 7. स्वीकृत।
स्वीकृति के संबंध में।